

मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय बल्लभ-भोपाल

क्र /स.स्कू.शि /10/ 35
प्रति,

भोपाल,दिनांक 05.01 10

- | | |
|--|--|
| 1. समस्त जिला कलेक्टर | 2. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण |
| 3. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी | 4. समस्त जिला परियोजना समन्वयक |
| 5. समस्त सहायक आयुक्त /
जिला संयोजक आदिवासी विभाग | 6. समस्त वि०ख.शि०अधि० /बी.आर.सी.
विकासखण्ड (म.प्र.) |
| 7. समस्त संकुल प्राचार्य | 8. समस्त प्रधान अध्यापक माध्य०विद्यालय |

विषय :-इंस्पायर अवार्ड योजना अन्तर्गत प्रदेश में प्रत्येक कक्षा 6 से 10 तक की कक्षाओं में अध्ययनरत प्रत्येक कक्षा के चयनित विद्यार्थी की प्रविष्टि एजुकेशन पोर्टल पर करने बाबत।

- संदर्भ :-
- 1-संचालनालय का पत्र क्र./विद्या/2009/941/भोपाल,दिनांक 16.10.09
 - 2-राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल का पत्र क्र/राशिके/09/449/भोपाल,दिनांक 16.10.09
 - 3-राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान जबलपुर का पत्र /इंस्पायर/2009-10/इनोवेशन/
जबलपुर, दिनांक 22.12.09
 - 4-संचालनालय का पत्र क्र./विद्या/इंस्पा.प्रोजेक्ट 2009/1194/भोपाल,दि. 26.12.09
 - 5-संचालनालय का पत्र क्र./विद्या/इंस्पा.प्रोजेक्ट 2009/1221/भोपाल,दि. 29.12.09

विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें तदनुसार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा नवीन योजनान्तर्गत शासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 6 से 10 वीं तक के विद्यार्थियों का चयन विज्ञान मॉडल निर्माण हेतु किया जाना है। चयनित विद्यार्थियों को मॉडल निर्माण हेतु राशि रुपये 5000/- प्रदान की जाएगी। विद्यार्थियों के चयन हेतु एजुकेशन पोर्टल पर चयनित छात्रों का नाम, पिता/पालक का नाम तथा गत वर्ष के परीक्षा परिणाम की एन्ट्री की जाना है, इस हेतु निम्नानुसार कार्रवाई करें।

1. समस्त शासकीय माध्यमिक स्तर के विद्यालय अपने विद्यालय के कक्षा 6,7 एवं 8 के अध्ययनरत विद्यार्थियों में से गत वर्ष की वार्षिक परीक्षा कक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी का नाम, उसके पिता /पालक का नाम एवं गत वर्ष के परीक्षा परिणाम की जानकारी अपने विकास खण्ड के बी.आर.सी को प्रपत्र-1 में दिनांक 15 जनवरी 2010 तक आवश्यक रूप से जमा करावें।
2. समस्त शासकीय हाईस्कूल /हायर सेकेण्डरी स्तर के विद्यालय अपने विद्यालय के कक्षा 9 वीं एवं 10 वीं में अध्ययनरत विद्यार्थियों में से गतवर्ष की वार्षिक परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी का नाम,उसके पिता/पालक का नाम एवं गतवर्ष के परीक्षा परिणाम की जानकारी अपने संकुल प्राचार्य को प्रपत्र-1 में दिनांक 15 जनवरी 2010 तक आवश्यक रूप से जमा करावें।

विद्यालय का डाइस कोड.....

विद्यालय का नाम

कक्षा	छात्र/छात्रा का नाम	पिता/माता/पालक का नाम	गत वर्ष का परीक्षा परिणाम प्रतिशत में

प्र.अ./प्राचार्य का यूनिक कोड

प्र.अ./प्राचार्य का नाम

हस्ताक्षर

3. तत्पश्चात बी.आर.सी. तथा संकुल प्राचार्यों के द्वारा पोर्टल पर निम्नानुसार एन्ट्री करायी जाएगी :-

1. डी.डी.ओ. कोड एवं पासवर्ड की सहायता से पोर्टल पर लॉगिन करें, जिस प्रकार वेतन बिल हेतु लॉगिन किया जाता है।
2. स्क्रीन पर प्रदर्शित मेन्यू बार का प्रथम ऑप्शन विवक लिंक का चयन करें।
3. सब मेन्यू में इन्सपायर अवार्ड को चयनित करें।
4. अब विद्यालय के डाइस कोड की एन्ट्री करें,, डाइस कोड के अनुसार माध्यमिक शाला की स्थिति में होने पर कक्षा 6, 7 एवं 8 के छात्र जो कि गत वर्ष की वार्षिक परीक्षा परिणाम के आधार पर कक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी का नाम उसके पिता/पालक का नाम एवं गत वर्ष की परीक्षा परिणाम की एन्ट्री करें, इसी प्रकार हाईस्कूल तथा हायर सेकेण्ड्री के डाइस कोड हेतु कक्षा 9 वीं एवं 10 वीं के गत वर्ष की वार्षिक परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी का विवरण भरें।
5. तत्पश्चात विद्यालय के प्र.अ./प्राचार्य का यूनिक कोड/नाम की एन्ट्री की जाएगी।
6. उपरोक्तानुसार अपने विकासखण्ड/संकुल अंतर्गत समस्त विद्यालयों की एन्ट्री करें।

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी एवं जिला परियोजना समन्वयक यह सुनिश्चित करें कि, उनके जिले के समस्त शासकीय माध्यमिक/हाईस्कूल/हायर सेकेण्ड्री विद्यालयों के बी.आर.सी./प्राचार्य के माध्यम से उक्तानुसार प्रविष्टियां दिनांक 18 जनवरी 2010 तक अनिवार्यतः पूर्ण करें। सभी प्राचार्यों/प्रधान अध्यापकों को यह भी निर्देशित करे कि वे त्रुटीपूर्ण जानकारी न दें अन्यथा दोषी प्राचार्य/प्र.अ. के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।



(मनोज झालानी)

सचिव

मध्यप्रदेश शासन

स्कूल शिक्षा विभाग भोपाल